

# समाहरणालय, चतरा ।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक.....75...../रा0

दिनांक.....10/1/2023

प्रेषक,

उपायुक्त,  
चतरा ।

सेवा में,

श्री चेतन कुमार मिश्रा,  
CGD Head (Gas), Chatra & Palamu,  
Bharat Gas Resources Limited,

विषय:—

चतरा जिलान्तर्गत अंचल-चतरा, कान्हाचट्टी, ईटखोरी एवं गिद्धौर में City Gas Development Project अंतर्गत उर्जा गंगा पाईप लाईन निर्माण हेतु अपयोजित भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत Form-I एवं गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रेषण ।

प्रसंग:—


आपका पत्रांक—PL/CGD/CHATRA/8/CP/DC/FRA Dated-09.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में चतरा जिलान्तर्गत अंचल-चतरा, कान्हाचट्टी, ईटखोरी एवं गिद्धौर में City Gas Development Project अंतर्गत उर्जा गंगा पाईप लाईन निर्माण हेतु अपयोजित भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत Form-I एवं गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है ।

अनुलग्नक:—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,



उपायुक्त,  
चतरा ।

# समाहरणालय चतरा ।

(राजस्व शाखा)

प्रमाण-पत्र सं०-...३१.....

दिनांक 10/01/2023

## प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची, दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अन्तर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद् आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-चतरा, कान्हाचट्टी, ईटखोरी एवं गिद्धौर के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	योजना का नाम	अंचल	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	गैरमजरूआ खास जंगल/जंगल झाड़ी का रकवा (हे० में)	
1	City Gas Development Project अन्तर्गत ऊर्जा गंगा पाईप लाईन निर्माण हेतु भू-हस्तानांतरण	चतरा	लक्षणपुर	130	1	219	0.0076	
			लक्षणपुर	130	1	216	0.0113	
			लक्षणपुर	130	1	213	0.0226	
			गंधरीया	133	1	1431	0.0155	
			ऊँटा	141	42	5	0.0215	
			ऊँटा	141	42	1101	0.0064	
			ऊँटा	141	42	1101	0.0035	
			होलमगड़ा खूर्द	282	23	406	0.0073	
			सोनबिगहा	179	9	482	0.0164	
			सोनबिगहा	179	9	483	0.0053	
			सोनबिगहा	179	9	483	0.0025	
			बभने	173	38	5	0.0005	
		कुल:-						0.1204
		कान्हाचट्टी	हरहद	45	41	1449	0.0117	
				45	41	1554	0.0035	
		कुल:-						0.0152
		ईटखोरी	गुल्ली	10/272	72	849	0.0116	
		कुल:-						0.0116
		गिद्धौर	आमीन	15	1	94	0.0071	
		कुल:-						0.0071
गिद्धौर	बारीसाखी	14	150	4	0.0306			
				9	0.0011			
				92	0.0229			
				97	0.0071			
कुल:-						0.0617		

1	City Gas Development Project अन्तर्गत ऊर्जा गंगा पाईप लाईन निर्माण हेतु भू-हस्तान्तरण	मंझगांवा	12	16	20	0.0176
					8	0.0181
					3	0.0224
					कुल:-	
					कुल योग	0.2741

उपर्युक्त वर्णित भूमि अधिसूचित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि से बाहर है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को City Gas Development Project अन्तर्गत ऊर्जा गंगा पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल-0.2741 हेक्टेयर के अपयोजन हेतु सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि :-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।




उपायुक्त,  
चतरा।

ज्ञापांक-79/रा0,

दिनांक-10/01/2023

प्रतिलिपि:-

- श्री चेतन कुमार मिश्रा, CGD Head (Gas), Chatra & Palamu, Bharat Gas Resources Limited को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उत्तरी/दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- सरकार के अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त,  
चतरा।

**FORM-I**  
(For linear projects)  
**Government of Jharkhand**  
Office of the District Collector, Chatra  
\*\*\*\*\*

No...80....

Dated..10/01/2023

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3929 hectares (0.9708 Acre)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Bharat Petroleum Corporation Limited for Urja Ganga Pipeline Under City Gas Development** from **Itkhori To Chatra** in **Chatra** district falls within jurisdiction of **Lakshanpur, Gandhariya, Unta, Holamgada khurd, Sonbigha & Babhane** villages in **Chatra** tehsil, **Harhad, Hauwag, Aarugadda & Barwadih** Villages in **Kanhachatti** tehsil **Gulli** Village in **Itkhori** tehsil **Aamin, Barisakhi, Kurkatta & Manjhawan** Villages in **Giddhor** tehsil.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.3929 hectares (0.9708 Acre)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committees Sub Division level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **03**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.



**Abu Imran**  
**Deputy Commissioner,**  
**Chatra.**